वाद वादी वकील श्री [illegible] द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

1. वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है ।
2. वाद क्षेत्राधिकार क्षेत्र का है ।
3. नियमानुसार कोर्ट फीस पर है ।
4. प्रतिवादी पक्ष का पूर्ण पता अंकित है ।
5. प्रतिवादी पक्ष के पर्याप्त सम्मन एवं पर्याप्त वाद की प्रति संलग्न की हैं।
6. पर्याप्त हैतुक दर्शाया गया है ।
7. वाद पत्र के साथ नवीनतम/आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है ।

रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें पेश है ।

हस्ताक्षर लिपिक

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे । पत्रावली वाले जवाब दिनांक 17/10/17 को पेश हो।

10/10/17

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

17-X-17 [illegible] दिनांक 21-11-17 को पेश हो

21/11/17 - पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. / प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 20/12/17 को पेश हो।

20/12/17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप./ वादी ने साक्ष्य के रूप में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते बहस एकपक्षीय दिनांक 10/1/18 को पेश हो।

10/1/18. पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप./ वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के अनुसार इस वाद को एक अन्य वाद नं. 163/17 में संलग्न कर, इस वाद में अंकित खसरानों को भी उक्त वाद में प्रार्थना पत्र में अंकित कर दिया है इसलिए अब इस वाद में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली [illegible]